भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं० 1702

दिनांक 28.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

छत्तीसगढ़ में पेयजल परियोजनाएं

1702- श्री अरूण साव:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ सहित देश के पिछड़े राज्यों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के संबंध में सरकार के पास लंबित परियोजनाओं की संख्या क्या है;
(ख) इन परियोजनाओं को सरकार द्वारा कब तक अनुमोदन प्राप्त हो जाने की संभावना है;
(ग) क्या सरकार ने राज्यों से पेयजल संकट से निपटने हेतु सुझाव आमंत्रित किए हैं; और
(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) पेयजल राज्य का विषय होने के नाते, ये राज्य सरकारें ही हैं जो पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन करते हैं, इसलिए, छत्तीसगढ़ राज्य सहित ग्रामीण जल आपूर्ति की वैयक्तिक परियोजनाएं भारत सरकार के स्तर पर अनुमोदित नहीं की जाती हैं। तथापि, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड से प्रभावित बसावटों में प्राथमिकता आधार पर पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपाय के तौर पर, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन की शुरूआत वर्ष 2017 में की गई थी जिसमें एनडब्ल्यूक्यूएसएम के दिशा-निर्देशों के तहत पात्र सभी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, देश में जल संकट को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राज्यों को जल संरक्षण संबंधी एक परामर्शिका जारी की गई है ताकि जल संकट के दौरान प्राथमिकता आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
ii) सरकार ने इस वर्ष समयबद्ध, मिशन मोड जल शक्ति अभियान (जेएसए) की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य संपदा सृजन तथा संचार अभियान के माध्यम से जल संरक्षण को एक 'जन आंदोलन' बनाना है।

iii) भारत सरकार ने जल संसाधन विकास हेतु एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की है जिसमें अधिशेष जल बेसिनों से अल्प जल बेसिनों में जल अंतरण करने का प्रावधान किया गया है ताकि जल की उपलब्धता में सुधार लाया जा सके।

*****